



Neutral Citation No. - 2026:AHC:36573

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 1104/2026

शुभाष सिंह सिसोदिया

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य प्रत्यर्थीगण

.....प्रत्यर्थीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता	: अनिकेत जायसवाल, ऋषभ केसरीवानी
प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता	: सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री ऋषभ केसरीवानी एवं प्रत्यर्थीगण की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री राहुल मलवीय को सुना गया।
2. विद्वान स्थायी अधिवक्ता द्वारा यह बताया गया कि उन्होंने निर्देश प्राप्त कर लिए हैं तथा वे प्रकरण में बहस करने की स्थिति में हैं। पक्षकारों की सहमति से प्रस्तुत रिट याचिका का निस्तारण प्रारम्भिक अवस्था में ही किया जा रहा है।
3. याचिकाकर्ता का कथन है कि वह उत्तर प्रदेश नागरिक पुलिस में रिज़र्व निरीक्षक के पद पर कार्यरत है। तथापि, आक्षेपित स्थानांतरण आदेश दिनांक 04.12.2025 द्वारा, जो कि ए.एस.पी./आई.जी., स्थापना, डी.जी.पी. मुख्यालय, लखनऊ द्वारा पारित किया गया है, उसे झाँसी से पी.ए.सी. मुख्यालय, लखनऊ स्थानांतरित कर दिया गया है। उक्त स्थानांतरण आदेश को चुनौती देते हुए यह याचिका प्रस्तुत की गई है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता का कथन है कि याचिकाकर्ता का स्थानांतरण दिनांक 04.12.2025 को किया गया, किन्तु उसे दिनांक 05.01.2026 को कार्यमुक्त किया गया, जो कि एक सप्ताह की अवधि से अधिक है, और यह शासनादेश दिनांक 06.05.2025 तथा परिपत्र दिनांक 17.10.2025 के अनुरूप नहीं है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



4. विशेष अपील संख्या 481/2024, जो दिनांक 14.05.2024 को निर्णीत हुई, पर भरोसा किया गया है, जिसका प्रासंगिक अंश निम्नवत् उद्धृत है:-

- “1. अपीलार्थी-याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य-प्रत्यर्थीगण की ओर से श्री देवेश विक्रम, विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता को सुना गया।
2. वर्तमान विशेष अपील, अध्याय VIII नियम 5 इलाहाबाद उच्च न्यायालय नियमावली, 1952 (जिसे आगे “नियमावली, 1952” कहा गया है) के अंतर्गत, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा रिट याचिका संख्या 6080 सन् 2024 (दीपक कुमार हेड कांस्टेबल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य प्रत्यर्थीगण) में पारित दिनांक 23.04.2024 के निर्णय एवं आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा विद्वान एकल न्यायाधीश ने याचिका का निस्तारण इस स्वतंत्रता के साथ किया कि अपीलार्थी-याचिकाकर्ता समस्त आवश्यक अभिलेखों सहित पुलिस महानिरीक्षक (कार्मिक), उत्तर प्रदेश, लखनऊ के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकता है।
3. आक्षेपित आदेश को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि समान प्रकार के स्थानांतरण आदेशों में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा अनेक बार हस्तक्षेप किया गया है, जहाँ यह पाया गया कि स्थानांतरण आदेश निर्धारित समयावधि में प्रभावी नहीं किए गए। न्यायालय द्वारा यह मत व्यक्त किया गया है कि स्थानांतरण सेवा की एक आवश्यकता है, किन्तु जब कार्यमुक्ति आदेश अत्यधिक विलम्ब से पारित होता है, तो वह आवश्यकता समाप्त मानी जाती है।
4. अपीलार्थी-याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिनांक 23.04.2024 के आदेश, जो रिट ए संख्या 5667 सन् 2024 में पारित हुआ, पर भरोसा किया गया है, जिसमें समान तथ्यों एवं परिस्थितियों में विद्वान एकल न्यायाधीश ने विस्तृत टिप्पणियों के साथ याचिका स्वीकार करते हुए स्थानांतरण तथा कार्यमुक्ति दोनों आदेशों को निरस्त कर दिया था।
5. पक्षकारों की दलीलें सुनी गईं तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया। इस न्यायालय ने रिट ए संख्या 20131 सन् 2023, रिट ए संख्या 20334 सन् 2023 तथा रिट ए संख्या 2709 सन् 2024 में क्रमशः दिनांक 05.12.2023, 07.12.2023

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



एवं 12.03.2024 को पारित आदेशों द्वारा यह विधिक स्थिति प्रतिपादित की है कि बिना किसी सुसंगत एवं न्यायोचित कारण के कार्यमुक्ति आदेश में अत्यधिक विलम्ब विधिक रूप से स्वीकार्य नहीं है, और ऐसे मामलों में स्थानांतरण एवं कार्यमुक्ति दोनों आदेश निरस्त किए जा सकते हैं। यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया है कि उक्त विधिक स्थिति आज भी प्रभावी है।

6. चूंकि वर्तमान रिट याचिका में उठाया गया विवाद पूर्वोक्त मामलों में विचारित विवाद के समान है, अतः इस न्यायालय को भिन्न दृष्टिकोण अपनाने का कोई पर्याप्त आधार नहीं प्रतीत होता। परिणामस्वरूप, दिनांक 26.05.2023, 14.11.2023 एवं 17.01.2024 के स्थानांतरण तथा कार्यमुक्ति आदेशों को एतद्वारा निरस्त किया जाता है। तथापि, यह स्पष्ट किया जाता है कि स्थानांतरण सेवा की आवश्यकता होने के कारण प्रत्यर्थी प्राधिकरणों को यह स्वतंत्रता होगी कि वे विधि के अनुसार नवीन स्थानांतरण आदेश पारित कर सकें।

7. उपरोक्त टिप्पणियों एवं निर्देशों के साथ विशेष अपील स्वीकार की जाती है।”

5. प्रत्यर्थीगण की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने दिनांक 02.02.2026 के निर्देशों का हवाला देते हुए बताया कि याचिकाकर्ता ने स्थानांतरण के पश्चात दिनांक 04.12.2025 के बाद कार्यभार ग्रहण नहीं किया, यद्यपि उसे दिनांक 05.01.2026 को कार्यमुक्त किया गया। तथापि उन्होंने यह निवेदन किया कि प्रत्यर्थीगण को पुनः स्थानांतरण आदेश पारित करने की स्वतंत्रता दी जाए, जिस पर याचिकाकर्ता के अधिवक्ता को कोई आपत्ति नहीं है।

6. पक्षकारों द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई दलीलों पर समुचित विचार करते हुए तथा इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कि विद्वान स्थायी अधिवक्ता द्वारा दिनांक 17.10.2025 के परिपत्र के आधार पर यह स्थिति स्पष्ट की गई है कि कार्यमुक्ति आदेश एक सप्ताह की अवधि के भीतर किया जाना अपेक्षित है, एवं साथ ही विशेष अपील संख्या 481/2024, जो दिनांक 14.05.2024 को निर्णीत हुई, में प्रतिपादित विधिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए, यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि आक्षेपित स्थानांतरण एवं कार्यमुक्ति आदेश विधिसम्मत रूप से टिकाऊ नहीं हैं। अतः प्रत्यर्थी संख्या 3 द्वारा पारित दिनांक

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



04.12.2025 का वह आदेश, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता का स्थानांतरण झाँसी से पी.ए.सी. मुख्यालय, लखनऊ किया गया है, तथा दिनांक 05.01.2026 का कार्यमुक्ति आदेश, एतद्वारा निरस्त किए जाते हैं। तथापि, प्रत्यर्थी संख्या 3 को यह स्वतंत्रता प्रदान की जाती है कि वह आगामी स्थानांतरण सत्र से संबंधित विधि अनुसार नवीन स्थानांतरण आदेश पारित कर सके।

7. तदनुसार रिट याचिका निस्तारित की जाती है।

दिनांक: 18 फरवरी, 2026

ऐमन

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”